न्यायालयः प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1292 / 2012</u> संस्थित दिनांक:-22 / 03 / 2012

> शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, एण्डोरी जिला–भिण्ड म0प्र0

> > <u>अभियोजन</u>

बनाम्

मनोज सिंह पुत्र बदनसिंह गुर्जर उम्र 26 वर्ष
निवासी–लक्ष्मण गढ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर म.प्र.

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा— 25(1)(1—बी)ए आयुध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधि० श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

-----\`_

// निर्णय //

//आज दिनांक 13/11/2017 को घोषित किया//

आरोपी पर दिनांक 03.02.12 को 19 बजे बाराहेड रोड शेरपुर मोड़ पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा एवं दो 315 बोर के कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1—बी)ए के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.02.12 को समय 18:10 बजे पुलिस थाना एण्डोरी के एस0एच0ओ0 आर0एस0 मदौरिया को जर्ये मुखबिर सूचना मिली थी कि फरारी बदमाश मनोज गुर्जर जिस पर इनाम घोषित है वह बाराहेड रोड सिहोंनिया तरफ जाने वाला है। सूचना की तस्दीक हेतु आर0एस0 भदौरिया मय फोर्स रवाना होकर बाराहेड रोड पर पहुंचे थे तथा शेरपुर मोड़ के पास फोर्स लगाकर नाकाबंदी कर चैकिंग की थी एवं रायतपुरा की तरफ से आने वाले वाहन चैक किए थे थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल रायतपुरा की तरफ से आई थी जो लाल रंग की थी जिस पर दो आदमी बैठे थे हमराही फोर्स की मदद से मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया था तो पीछे बैठा आदमी मोटरसाइकिल से कूदकर भागने लगा था जिसे घेरकर पकड़ लिया था। दूसरा आदमी मोटरसाइकिल लेकर बाराहेड तरफ भाग गया था। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना

नाम मनोज बताया था। तलाशी लेने पर आरोपी की कमर में बांयी तरफ एक देशी कट्टा मिला था एवं उसके पैन्ट की जेब में 315 बोर के दो जिंदा कारतूस मिले थे। आरोपी के पास कट्टा कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था उसने मौके पर ही आरोपी से कट्टा कारतूस जप्त कर जप्ती की एवं आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर पुलिस थाना एण्डोरी आरोपी के विरुद्ध में अप०क० 05/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये एवं आरोपी को आरोपित आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.02.12 को 19 बजे बाराहेड रोड शेरपुर मोड़ पर संचालनीय स्थिति वाला एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध मे अभियोजन की ओर से साक्षी इन्द्रजीत आ०सा०1, रामवरनिसंह आ०सा०2, राजू शाक्य आ०सा०3, राजिकशोरिसंह आ०सा०4 प्र०आरक्षक लालताप्रसाद अ०सा०5, एवं आर०एस० भदौरिया अ०सा०6, को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

[निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण] विचारणीय प्रश्न क0-1

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के सबंध में जप्तीकर्ता आर0एस0 भदौरिया अ0सा06 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 03.02.12 को थाना एण्डोरी में सूचना मिली थी कि आरोपी मनोज गुर्जर बाराहेड रोड से सिहोंनिया की तरफ जाने वाला है। इस पर उसने मय फोर्स शेरपुर मोड़ के पास चैकिंग लगायी थी। वहां उसे मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखे थे उनमें से एक व्यक्ति कूदकर भागा था उसे पकड़ लिया था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम मनोज बताया था। तलाशी लेने पर आरोपी की बायी ओर कमर में एक 315 बोर का कट्टा तथा पैन्ट की जेब में दो कारतूस मिले थे। आरोपी के पास कट्टा कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था। उसने मौके पर ही गवाहों के समक्ष आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जप्त कर सील्ड किया था जो प्र0पी—1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को शिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रोजनामचा वापिसी की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी—6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए—1 का कट्टा एवं आर्टिकल ए—2 का कारतूस वही कट्टा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त किए थे।
- 8. प्रतिपरीक्षण के पद कमाक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके साथ गश्त में ए.एस.आई. सुभाष पाण्डे प्र0आरक्षक राधाकिशन एवं चार आरक्षक थे। उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी के

विरुद्ध थाना एण्डोरी में कोई अपराध पंजीबद्ध था। पद कमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे याद नहीं है कि अप०क0 176/11 आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध था। उसे याद नहीं है कि उक्त अपराध में आरोपी मनोज वांछित था। वह आज यह नहीं बता सकता कि उक्त अपराध में कितने आरोपी थे।

- 9. साक्षी प्र0आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा05 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक को आर0एस0 भदौरिया, सुभाष पाण्डे एवं राधाकिशन के साथ वाहन चैकिंग करना तथा आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस जप्त करना बताया है।
- 10. साक्षी इन्द्रजीत अ०सा०१ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो महीने पहले पाण्डे जी दरोगाजी ने एक लड़के को पकड़ा था जिसका नाम मनोज था पाण्डे जी कहते थे कि आरोपी के पास से कट्टा पकड़ा गया था। उसके सामने लिखापढ़ी हुई थी। जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 हैं जिनके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी को पुलिसवाले थाने लेकर चले गये थे। उसके सामने आरोपी से पुलिसवालों ने कोई सामान जप्त नहीं किया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का देशी कट्टा एवं दो जिंदा राउण्ड जप्त किए थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी।
- 11. साक्षी रामवरनिसंह अ०सा०२ ने अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसके सामने आरोपी से पुलिस ने कोई कट्टा जप्त नहीं किया था ना ही आरोपी को गिरफतार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं दो राउण्ड जप्त किए थे। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 के कमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 12. आर्म्स क्लर्क राजू शाक्य अ०सा०३ ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी—३ को प्रमाणित किया है एवं आर्म्स मोहर्र राजिकशोरिसंह अ०सा०४ ने कट्टा एवं कारतूस की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी—4 को प्रमाणित किया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं पुलिस कर्मचारियों के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 14. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी मनोज के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी राजू शाक्य आ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 02.03.12 को थाना एण्डोरी के आरक्षक जबरसिंह द्वारा थाने के अप0क0 05/12 की केस डायरी जप्तशुदा आयुध सिंहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी—03 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर है। उसने श्री अखिलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

- 15. इस प्रकार राजू शाक्य आ०सा०३ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध केंस डायरी सिहत तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।
- 16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर का कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्स मोहर्र राजिकशोरसिंह आ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 10.02.12 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना एण्डोरी के अप0क0 05/12 में जप्तशुदा 315 वोर का देशी कट्टे एवं दो कारतूस की जांच की थी। जांच के दौरान उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था कट्टा चालू हालत में था कट्टे से फायर किया जा सकता था। दोनों राउण्ड से भी फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।
- 17. इस प्रकार आरक्षक राजिकशोरिसंह अ०सा०४ ने अपने कथन में यह बताया है कि 315 बोर का कट्टा एवं दोनों राउण्ड चालू हालत में थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।
- 18. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 वोर कट्टा एवं दो कारतूस आरोपी ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे ? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जप्तीकर्ता आर0एस0 भदौरिया अ0सा06 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसे आरोपी के संबंध में सूचना मिली थी तथा सूचना प्राप्त होने के पश्चात उसने शेरपुर मोड पर चैकिंग लगाई थी वहां उसे मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आते दिखे थे जिनमें से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कूदकर भागा था जिसे मौके पर पकड़ लिया था एवं नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम मनोज बताया था तथा तलाशी लेने पर मनोज की कमर में 315 बोर का कट्टा एवं पैन्ट में 315 बोर के दो राउण्ड मिले थे। जबकि साक्षी प्र0आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा05 का कहना है कि घटना दिनांक 03.02.12 को वह बाराहेड पर शेरपुर मोड़ पर एस0आई0 सुभाष पाण्डे, प्र0आरक्षक राधाकिशन, आरक्षक देवेन्द्रसिंह, सूरतराम एवं आर0एस0भदौरिया के साथ चैकिंग कर रहे थे तो एक व्यक्ति पैदल आते हुए दिखा था उसे चैक किया था तो उसकी कमर से 315 बो का कट्टा एवं जेब से दो जिंदा राउण्ड मिले थे। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम मनोज बताया था।
- 19. इस प्रकार जप्तीकर्ता आर0एस0 भदौरिया अ0सा06 एवं लालताप्रसाद अ0सा05 के कथनों से यह दर्शित है कि आर0एस0 भदौरिया अ0सा06 ने अपने कथन में आरोपी को मोटरसाइकिल से आना तथा मोटरसाइकिल से कूदकर भागना एवं भागते हुए उसे पकड़ लेना बताया है जबिक प्र0आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा05 का कहना है कि आरोपी पैदल चला आ रहा था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आर0एस0 भदौरिया अ0सा06 एवं लालताप्रसाद अ0सा05 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 20. आर0एस0 भदौरिया अ0सा06 ने अपने कथन में आरोपी मनोज को मौके पर ही गिरफतार करना एवं उससे आयुध जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 तैयार करना बताया है जबकि प्र0आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा05 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह

बताया है कि आरोपी मनोज को अप०क० 176/11 में गिरफतार किया गया था तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि भदौरिया जी ने आरोपी की गिरफतारी की थी और उसकी लिखापढी थाने पर की थी। इस प्रकार लालताप्रसाद अ०सा०५ के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि आरोपी को थाने पर गिरफतार किया था था तथा गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 की लिखापढी थाने पर की गयी थी जबिक आर०एस० भदौरिया अ०सा०६ का कहना है कि उसने घटनास्थल पर ही जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 की लिखापढी की थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी जप्तीकर्ता आर०एस०भदौरिया अ०सा०६ एवं प्र0आरक्षक लालताप्रसाद अ०सा०५ के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त विरोधाभास तात्विक है जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देता है।

- 21. जहां तक जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 के कथित साक्षी इन्द्रजीत अ0सा01 एवं रामवरनिसंह अ0सा02 के कथन का प्रश्न है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि रामवरन अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किए जाने पर उभी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।
- 22. इन्द्रजीत अ०सा०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि दरोगाजी पाण्डेजी ने एक लडके को पकड़ा था तथा पाण्डेजी ने उससे कहा था कि आरोपी के पास से कट्टा पकड़ा गया है। उसके सामने आरोपी से पुलिसवालों ने कोई सामान जप्त नहीं किया था इस प्रकार इन्द्रजीत अ०सा०१ के कथनों से यह दर्शित है कि उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी। इस प्रकार आर०एस०भदौरिया अ०सा०६ के कथन का समर्थन जप्ती के साक्षी इन्द्रजीत अ०सा०१ एवं रामवरनिसंह अ०सा०२ द्वारा भी नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 23. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आर०एस०भदौरिया अ०सा०६ ने अपने कथन में मय फोर्स बाराहेड रोड शेरपुर मोड पर जाना एवं आरोपी से कट्टा जप्त करना बताया है परन्तु उक्त संबंध में रोजनामचा रवानगी सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्र०आरक्षक लालताप्रसाद अ०सा०५ ने अपने कथन में आर०एस०भदौरिया के अतिरिक्त ए.एस.आई. सुभाष पाण्डे, प्र०आरक्षक राधाकिशन, आरक्षक देवेन्द्रसिंह एवं आरक्षक सूरतराम का भी मौके पर उपस्थित होना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। उक्त तथ्य भी अभियोजन घटना के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता है।
- 24. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। शेष साक्षी प्र0आरक्षक लालताप्रसाद अ0सा05 एवं जप्तीकर्ता आर0एस0भदौरिया अ0सा06 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान परस्पर तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 25. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 03.02.12 को 19 बजे बाराहेड रोड पर शेरपुर मोड पर एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे। फलतः यह न्यायालय आरोपी मनोज गुर्जर को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1—बी)ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

27. आरोपी स्वतंत्र हो।

28. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा राउंड अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।

WITHOUT PROPERTY TO THE PARTY OF THE PARTY O

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-13.11.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही /-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)